



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052020-219649
CG-DL-E-29052020-219649

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1516]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2020/ज्येष्ठ 8, 1942

No. 1516]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2020/JYAISTHA 8, 1942

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 29 मई, 2020

का.आ. 1686(अ).—सीजी-डीएल-ई-11052020-219335-भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में सीजी-डीएल-ई-11052020-219335, 11 मई, 2020 के माध्यम से प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की 11 मई, 2020 की अधिसूचना संख्या 24/17/2010-आईएफ-II में:-

(i) पृष्ठ-1, अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-11052020-219335 के पैरा 1 में:

‘राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 6 की उप धारा (i) के खण्ड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री मनोज कुमार मीना, सचिव, आवासीय विभाग, कर्नाटक सरकार को तत्काल प्रभाव से और अगला आदेश होने तक राष्ट्रीय आवास बैंक के निदेशक मण्डल में निदेशक नियुक्त करती है।’

को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

‘राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 6 की उप धारा (i) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री मनोज कुमार मीना, सचिव, आवासीय विभाग, कर्नाटक सरकार को तत्काल प्रभाव से और अगला आदेश होने तक राष्ट्रीय आवास बैंक के निदेशक मण्डल में निदेशक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 24/17/2010-आईएफ-II]

आनन्द मधुकर, ओएसडी (संयुक्त सचिव स्तर)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29h May, 2020

S.O. 1686(E).—CG-DL-E-11052020-219335—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Financial Services No. 24/17/2010-IF-II dated the May 11, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II—Section 3—Sub-section (ii), *vide* number **CG-DL-E-11052020-219335**, dated the May 11, 2020:-

(i) At page 1, para 1 of the Notification No. **CG-DL-E-11052020-219335** for:

‘In exercise of the powers conferred by Clause (e) of Sub-Section (1) of Section 6 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Central Government hereby appoints Shri Manoj Kumar Meena, Secretary, Housing Department, Government of Karnataka as a Director on the Board of Directors of National Housing Bank with immediate effect and until further orders.’

May be read as under:

In exercise of the powers conferred by Clause (f) of Sub-Section (1) of Section 6 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Central Government hereby appoints Shri Manoj Kumar Meena, Secretary, Housing Department, Government of Karnataka as a Director on the Board of Directors of National Housing Bank with immediate effect and until further orders.

[F. No.24/17/2010-IF-II]

ANAND MADHUKAR, OSD (JS Level)